न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकारी :- श्री धीरेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

राजस्व वादपत्र संख्या :- 77/2019

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01. जगराम पुत्र श्री भुराराम उम्र 45 वर्ष जाति विश्नोई निवासी गुणेशाणियो की ढ़ाणी, धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर।		1. भुराराम पुत्र सुरताराम उम्र 70 वर्ष 2. माली पुत्री श्री भुराराम उम्र 48 वर्ष जाति विश्नोई निवासी गुणेशाणियो की ढ़ाणी, धोरीमन्ना पटवार हल्का धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर 3. तहसीलदार एवं उप पंजीयक धोरीमन्ना

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा

तारीख रजू: 26.09.2019

अधिवक्तागण :-

1. श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता वादी
2. हापूराम विश्नोई, अधिवक्ता प्रतिवादी सं.01 से 02
3. पेरोकार सरकार

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना ★ जिला-बाड़मेर ★ सत्यमेव जयते

-: : निर्णय : :-

दिनांक: 23.07.204

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 02 के संयुक्त खातेदारी का अविभाजित खेत ग्राम गुणोशाणियो की ढ़ाणी धोरमन्ना पटवार क्षेत्र धोरीमन्ना मे खेत खसरा नम्बर [illegible] रकबा 08-08 बीघा व खसरा नम्बर 1192/831 रकबा 05-13 बीघा कुल रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:20:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

14-01 बीघा का आया हुआ है। वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न है। कि वादी प्रतिवादी संख्या 01 का जाईन्दा इकलौती संन्तान है तथा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज समस्त खातेदारी भुमि का 1/2 हिस्से का जन्म से ही विधिक वारीश के हिस्से से हकदार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं.01 की परिवार की संयुक्त आय से क्रय की गई भुमि ग्राम गुणोशाणियो की ढ़ाणी, धोरमन्ना पटवार क्षेत्र धोरीमन्ना मे खेत खसरा नम्बर 1190/831 रकबा 08-08 बीघा व खसरा नम्बर 1192/831 रकबा 05-13 बीघा कुल रकबा 14-01 बीघा आया हुआ है जिसमे वादी घर बनाकर निवास कर रहा है तथा वाहमी बटवाड़ा द्वारा दोनो खसरो मे काश्त करता आ रहा है उक्त भुमि जो प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज है आगामी पदों मे विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। कि प्रतिवादी संख्या 01 के नाम वादी एवं प्रतिवादी के पैतृक सहदायिका की भुमि ग्राम भादुओं की बेरी मे खसरा संख्या 172, 177, 183/8 कुल रकबा 121-03 बीघा मे वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा उनके नाम दर्ज है तथा ग्राम भादुओ की बेरी खसरा नम्बर 144/10, 144/2, 144/5, 183, 183/5 कुल रकबा 18-08 बीघा जो प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है ग्राम कातरला के खेत खसरा संख्या 254/1 रकबा 04-05 बीघा भुमि अकेले प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से दर्ज है तथा उक्त भुमि मे प्रतिवादी संख्या 01 निर्विवाद रूप से काश्त करता आ रहा है। कि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 भुरा का वादी अकेला वारिशान है इसलिए वादी ग्राम गुणोशाणियो की ढ़ाणी के खसरा नम्बर 1190/831 व 1192/831 आवगे खसरे वादी के नाम घोषित करवाने के अधिकारी है तथा शेष भुमि जो ग्राम भादुओ की बेरी व कातरला मे आई हुई है वो प्रतिवादी संख्या 01 को देते हुए उक्त दोनो खसरे वादी अपने नाम घोषित करवाकर प्रतिवादी का नाम हटाय[illegible] का अधिकारी क्योकि वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है [illegible] वादी अपने पिता भुरा की पैतृक भूमि मे हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम मे मिलने वाले

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:20:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना
जिला-बाड़मेर
सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

हिस्से का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी है और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी अपने हिस्से अनुसार भूमि का अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दु पुरूष के पुत्र, पुत्री-पोत्र, पोत्री एवं परपोत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिका अर्थात पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है। तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयानुसार पिता के जीवनकाल में अपना हिस्सा घोषित करवाने की अधिकारी है। कि राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप 6) विभाग द्वारा एक परिपत्र क्रमांक प.5(1) राजस्व - 6/97/18 दिनांक 08.01.2007 जारी कर स्पष्ट आदेश पारित किया है कि विभागीय परिपत्र दिनांक 08.09.1997 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि पुत्र/पुत्री को अपने पिता की पैतृक भूमि पर जन्म से ही अधिकार है हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम पिता की पैतृक सम्पति मे पुत्र/पुत्री दोनो की जन्म से ही अधिकार होता है इसलिए पुत्र/पुत्री दोनो ही अपने पिता की पैतृक भूमि मे पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकते है पैतृक कृषि भुमि मे पिता के साथ साथ पुत्र पुत्री भी सहकृषक है चाहे राजस्व रेकर्ड मे इसका अंकन नही भी नही हो इसलिए पुत्र/पुत्री अपने पिता की पैतृक भुमि मे पिता के जीवनकाल मे ही सहकृषक होने के नाते राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 88 के अनुसार जोत में घोषणा करवा सकते है। कि वादी अपने वाहमी बटवाड़ा मे प्राप्त खसरा संख्या 1190/831 व 1192/831 कुल रकबा 14-01 ग्राम गुणोशाणियो की ढ़ाणी तहसील धोरीमन्ना के खेत मे किसी अन्य व्यक्ति व प्रतिवादी को दखलअन्दाजी करने बैचान करने से रोकने हेतु मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी होने से स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश है। कि बिनायदावा अर्सा पांच दिन पुर्व वादी के विवादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादी द्वारा दखलअन्दाजी करने पर तथा उक्त आराजी हिन्दु सयुक्त परिवार की व पैतृक भूमि होने से वादी के कब्जा काश्त मे दखलअन्दाजी की तब तब बमुकाम गुणोशाणियो की ढ़ाणी पटवार हल्का व तहसील धोरीमन्ना में [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:20:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये डाक तलब किया गया प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील द्वारा ईकबाल्या जवाब पेश किया गया पत्रावली को साक्ष्यवादी में नियत किया गया। साक्ष्यवादी के दौरान वादी जगराम पीडब्लू 01 ने अपने खातेदारी के खेत की जमाबंदी व नक्शा तथा स्वयं के पहचान पत्र व अन्य सभी पैतृक खेतो की जमाबंदी प्रदर्शित करवायी गई इस दौरान वादी के एक बहिन माली जो जगराम की वैध विधिक वारीसान होने से वादी द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर बहिन माली को पक्षकार बनाने के आवेदन पर प्रतिवादी ने अनापति जाहिर की जिस पर माली को पक्षकार बनाया गया तथा संसोधित शिर्षक रेकर्ड पर लिया गया तत्पश्चात प्रतिवादीनी माली पुत्र जगराम स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया तथा अपने कथन पिठासीन अधिकारी को दर्ज करवाते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 भूराराम के नाम से ग्राम गुणेशाणियो की ढाणी में 14-01 बीघा भूमि आयी हुई है इसके अलावा भूराराम के नाम से ग्राम भादूओ की बेरी में खसरा संख्या 172, 177, 183/8 कुल रकबा 121-03 बीघा में भूराराम का 1/6 हिस्सा यानि 20-05 बीघा भूमि बंट में आती है इसके अलावा ग्राम भादुओ की बेरी में खसरा संख्या 144/10, 144/2, 144/5, 183, 183/5 में कुल रकबा 18-08 बीघा भूमि भूराराम के नाम दर्ज है इसी प्रकार ग्राम कातरला में खसरा संख्या 254/1 रकबा 4-05 बीघा भूमि भूराराम के नाम दर्ज है इस प्रकार सभी ग्रामो में भूराराम के नाम 56-19 बीघा जमीन पैतृक आराजी है तथा भूराराम के दो संतान होने से वादी का 1/3 हिस्सा पैतृक रूप से बनता है जो 19 बीघा बनती है जबकि विवादग्रस्त भूमि 14-01 बीघा होने से शेष अन्य खसरो में वादी का 5 बीघा भूमि आयेगी जिसे बाद में नाम करवा दिया जायेगा वर्तमान राजस्व वाद में 14-01 बीघा भूमि वादी जगराम के नाम घोषित की जाती है तो प्रतिवादी संख्या 2 माली को कोई आपति नही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 भूराराम ने भी अपने ईकबालिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:20:02 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

ब्यान में उक्त राजस्व ग्राम की सम्पुर्ण भूमि वादी के पक्ष में घोषित करने हेतु सहमत है तथा उक्त आराजी वादी के पैतृक हिस्से से अधिक नही है इसीलिए वादी के पक्ष में सम्पुर्ण रकबा घोषित किया जाना न्याय सगत है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने साक्ष्य पेश करने से इनकार किया दोनों पक्षों की साक्ष्य को बन्द किया गया। पेरोकार सरकार उपस्थित पत्रावली को सिधे बहस में नियुक्त किया गया।

हमने बहस विद्वान अधिवक्ता विस्तार पूर्वक सुनी तथा पत्रावली तथा पत्रावली पर उपस्थित समस्त दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। हमने प्रदर्शित जमाबंदी ग्राम गुणोशाणियो की ढ़ाणी, धोरमन्ना पटवार क्षेत्र धोरीमन्ना मे खेत खसरा नम्बर 1190/831 रकबा 08–08 बीघा व खसरा नम्बर 1192/831 रकबा 05–13 बीघा व पैतृक सहदायिका की भुमि ग्राम भादुओं की बेरी मे खसरा संख्या 172, 177, 183/8 कुल रकबा 121–03 बीघा मे वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा उनके नाम दर्ज है तथा ग्राम भादुओ की बेरी खसरा नम्बर 144/10, 144/2, 144/5, 183, 183/5 कुल रकबा 18–08 बीघा जो प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है ग्राम कातरला के खेत खसरा संख्या 254/1 रकबा 04–05 बीघा का अवलोकन किया गया उक्त आराजी वादी की पैतृक आराजी है तथा प्रतिवादी भूराराम व माली ने अपने जवाब व कथन में स्पष्ट किया कि भूराराम के दो ही विधिक वारीसान है इस हिसाब से वादी का 1/3 हिस्सा प्रमाणित है तथा वादी का 1/3 हिस्से में 19 बीघा भूमि हिस्से में आती है इसीलिए उक्त दोनो खसरे वादी के पक्ष में आवंटे घोषित करने में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही है साथ ही वादी हिन्दू विधि से शासित होने से हिन्दू उतराधिकार अधिनियम व राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 08.01.2007 के अनुसार पिता के जीवन काल में पैतृक हिस्सा घोषित किया जा सकता है तथा यदि दोनो पक्ष सहमत हो तो [illegible] ही खसरे में रकबा पुरा किया जा सकता है [illegible] न्यायालय वादी के कथनों से पूर्णरुप से सहमत है इस [illegible] स्पष्ट है कि वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:20:02 IST
Reason: Self Attested

कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

आराजी वादी की पैतृक आराजी है तथा वादग्रस्त आराजी के जितना रकबा वादी के हक हिस्से में बनता है इसीलिए ग्राम गुणेशाणियो की ढाणी के खेत खसरा संख्या 1190/831, 1192/831 क्रमशः क्षेत्रफल 1.3597, 0.9146 हेक्टेयर में प्रतिवादी भूरा पुत्र सुरता की जगह वादी का नाम घोषित करने हेतु अंतिम डिक्री किया जाना हम उचित एवं विधिसंगत समझते है।

-: : आदेश : :-

अतः माफिक राजस्व रिकॉर्ड अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि पटवार हल्का धोरीमन्ना के राजस्व ग्राम गुणेशाणियो की ढाणी के खेत खसरा संख्या 1190/831, 1192/831 क्रमशः क्षेत्रफल 1.3597, 0.9146 हेक्टेयर में खातेदार भूराराम पुत्र सुरताराम के नाम की जगह वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रैकर्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक अंतिम डिक्री वादी का नाम राजस्व रैकर्ड में दर्ज किया जावे वादी एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें। अंतिम डिक्री पृथक से बनाई जाकर सा.मि. हो। तहसीलदार धोरीमन्ना को अंतिम डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें।

(धीरेन्द्र सिंह RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,धोरीमन्ना
(जिला बाड़मेर)

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,धोरीमन्ना
(जिला बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:20:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रुल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम धोरीमन्ना

बईजलासः- श्री धीरेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जगराम पुत्र श्री भुराराम उम्र 45 वर्ष जाति विश्नोई निवासी गुणेशाणियो की ढ़ाणी, धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना		1. भुराराम पुत्र सुरताराम उम्र 70 वर्ष 2. माली पुत्री श्री भुराराम उम्र 48 वर्ष जाति विश्नोई निवासी गुणेशाणियो की ढ़ाणी, धोरीमन्ना पटवार हल्का धोरीमन्ना तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर 3. तहसीलदार एवं उप पंजीयक धोरीमन्ना

मुकदमा नम्बरः- 71/2019

दावा बाबत्-राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रु-ब-रु पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिनजानिब मुदई वादी एवं विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि पटवार हल्का धोरीमन्ना के राजस्व ग्राम गुणेशाणियो की ढाणी के खेत खसरा संख्या 1190/831, 1192/831 क्रमशः क्षेत्रफल 1.3597, 0.9146 हेक्टेयर में खातेदार भूराराम पुत्र सुरताराम के नाम की जगह वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रैकर्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक अंतिम डिक्री वादी का नाम राजस्व रैकर्ड में दर्ज किया जावे वादी एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करें।

नीज.......................मुबलिक...............................बाबत्..................

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखात व मुहर अदालत से आज दिनांक 23.07.2024 को सरे ईजलास जारी किया गया।

मोहर

(धीरेन्द्र सिंह RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना
(बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.08.18 19:10:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner